


28/8/19

उपखण्ड अधिकारी
बसुदा (अजमेर) राज.

प्राचीया के अधिवासी (उपखण्ड) पेशेकार (खेती) उपखण्ड) प्राचीय पत्र
 द्वारा 212 राज्य कायदा अधिनियम पर सख्त चुनी गई। प्राचीय पत्र
 विवाहित भूमि पर अपना कब्जा दाखल उपखण्ड उपखण्ड पर
 होने के कारण प्राचीय के विवाहित भूमि के दाखल होने में किसी प्रकार
 की बाधा उत्पन्न नहीं करे बाकायद अधिवासी निधि द्वारा चलाई
 गई। पेशेकार (खेती) द्वारा जमाने पर धन किसे वह है कि वह
 विलीन भूमि (खसत नंबर 4939/4108 वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसूची
 सिवाय चक्र कारी खेत में दर्ज है। कोही केदार अतिथि उक्त भूमि
 पर काबिज है चाद पत्र / प्राचीय पत्र खारिज किया जाये। पत्रपत्नी को
 अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पत्र कि प्राचीय द्वारा उपखण्ड निधि में
 साइम हाउस (जमाने) संवत् 2069-72 के खसत नंबर 4108 संख्या
 25-19-10 का 2 में खसत नंबर के कॉलम में खसत भूमि दर्ज होना पत्र
 तथा इस प्रकार प्राचीय के एक में कोई प्रयत्न इत्यादि केस व सहाय्य की
 सन्तुलन व अधिवासी क्षति का विन्दु होना नहीं पाया जाता है।
 अतः प्राचीय का प्राचीय पत्र 212 राज्य कायदा अधिनियम द्वारा
 के विरुद्ध खारिज किया जाता है। आदेश आज सुले च्यापलम में
 सुनाया गया। जिसमें पेशेकार नंबर है धन हो वह सख्त दाखल की
 तथा खसत नंबर के साथ नहीं हो।


 (निदेशक उपखण्ड अधिकारी)
 उपखण्ड अधिकारी
 बसुदा (अजमेर) राज.

